

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी

पत्रांक-

मान्यता / १८१ / २०२१-२२

दिनांक - १६-०४-२०२२

प्रबंधक

वी०आर०एस० कान्वेंट जूनियर हाईस्कूल,
बैशकांटी कौशाम्बी ।

विषय - वी०आर०एस० कान्वेंट जूनियर हाईस्कूल, बैशकांटी कौशाम्बी के स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा ०५/०४/२०२१ को दिए गये पत्र से संज्ञानित हुआ कि आपके मान्यता ०१/०४/२०१८ को पत्रांक संख्या ८६८८-९३/२०१७-१८ निर्गत की गई जिसमें मान्यता की अवधि तीन वर्ष दी गई।

शासनादेश संख्या-४१९/७९-६-२०१३-१८(२०)/९१ शिक्षा अनुभाग-६ लखनऊ दिनांक ०८.०५.२०१३ में प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत औपचिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता के शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

प्रबंधक वी०आर०एस० कान्वेंट जूनियर हाईस्कूल, बैशकांटी कौशाम्बी के शपथ पत्र व खण्ड शिक्षाधिकारी विकास क्षेत्र कौशाम्बी की आख्या पत्रांक - ७६५-६७/२०२०-२१ दिनांक - २०.०३.२०२१ के आधार पर उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपचिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी गयी थी-तीन वर्ष की अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः वी०आर०एस० कान्वेंट जूनियर हाईस्कूल, बैशकांटी कौशाम्बी की मान्यता शासनादेश संख्या-४१९/७९-६-२०१३-१८(२०)/९१ शिक्षा अनुभाग-६ लखनऊ दिनांक ०८.०५.२०१३ के आधार पर मान्यता स्थायी मान ली जाती है।


Manager
V.R.S. CONVENT SCHOOL
Baishkanti, Kaushambi

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

कौशाम्बी
भवदीय-


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी

पत्रांक - मान्यता / — / २०२१-२२ दिनांक -

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- खण्ड शिक्षाधिकारी विकास क्षेत्र- कौशाम्बी ।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ।
- प्रबंधक वी०आर०एस० कान्वेंट जूनियर हाईस्कूल, बैशकांटी कौशाम्बी ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रेषक,

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी,
कौशाम्बी ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

बी0आर0एस0 कान्चेंट,
जूनियर हाईस्कूल, वैशकांटी
मंडनपुर, जनपद—कौशाम्बी ।

पत्रांक: /मान्यता/8688-93/2017-18

दिनांक-16.12.2017

विषय:-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक-31.08.2017 तक प्राप्त आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात् पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं बी0आर0एस0 कान्चेंट जूनियर हाईस्कूल वैशकांटी मंडनपुर, जनपद कौशाम्बी को दिनांक-01 अप्रैल 2018 से दिनांक-31 मार्च 2021 तक तीन वर्ष अवधि के लिए कक्षा-नर्सरी कक्षा-03 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन हैं:-

- 1—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-03 के पश्चात मान्यता/सम्बन्ध के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबन्ध-2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3—विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के .25 प्रतिशत तक पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा—विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4—पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 को उपधारा (2) के उपबंधों के लालन प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5—सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संघरण नहीं करेगा और लिसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- 6—विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-

- (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा के लिए नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निषादासित नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक छत्तीरुन के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वार्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्ररत/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के समय की जाती है परंतु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
- (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7—विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पात्र्यवर्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगे।

8—विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सानियमों ~~विनियम~~ रखेंगे। अधिनियम के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—	(—)
कुल निर्मित क्षेत्र—	(—)
कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल—	(—)
कक्षाओं की संख्या—	(है)
प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भांडारगार के लिए कक्ष—	(है)
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय—	(है)
पेयजल सुविधा—	(है)
मिड—डे मील पकाने के लिए रसोई—	(—)
बाधारहित पहुँच—	(—)
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करणों/पुस्तकालय की उपलब्धता—(है)	(है)

- 9—विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएँगी।
- 10—विद्यालय नवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11—विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12—स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13—विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा संवरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14—आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक (10) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15—विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।
- 16—सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17—सलांग उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

चबदीय

सौ.

(म्यारो स्वामी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी।

V.R.S. COMM. SCHOOL
Balkanti, Kaushambi

पृ०सं०: /मान्यता/8688-93/2017-18 त्रिविनांक—

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—शिक्षा निदेशक (वि०) उ०प्र० निशातगंज लखनऊ।

2—अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज लखनऊ।

3—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।

4—सम्बन्धी खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद—कौशाम्बी।

5—कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कौशाम्बी।